रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062022-236884 CG-DL-E-28062022-236884

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2783] No. 2783] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2022/आषाढ़ 7, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2022/ASHADHA 7, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2022

(आयकर)

का.आ. 2925(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारत के सरकारी राजपत्र भारत सरकार, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना सं. 54/2014 में का.आ. 2756 (अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 के तहत निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

कथित अधिसूचना में, सारणी में,-

- (I) क्रम संख्या 1 में, स्तम्भ (4) में, (iii) से (ix) तक की प्रविष्टियों के लिए, निम्न प्रविष्टि को बदला जाएगा, अर्थात्:-
 - "(iii) मुख्य आयकर आयुक्त (अर्न्तराष्ट्रीय कराधान) दिल्ली"
- (II) क्रम संख्या 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्न क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी, अर्थातु: -

4317 GI/2022 (1)

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	मुख्य आयकर आयुक्त (अर्न्तराष्ट्रीय कराधान) दिल्ली	दिल्ली	(i) आयकर आयुक्त(अर्न्तराष्ट्रीय कराधान)- 1, दिल्ली (ii) आयकर आयुक्त (अर्न्तराष्ट्रीय कराधान)-2 दिल्ली (iii) आयकर आयुक्त (अर्न्तराष्ट्रीय कराधान)-3 दिल्ली (iv) आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण)-1, दिल्ली (v) आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण)-2, दिल्ली (vi) आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण)-3, दिल्ली (vii) आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण)-3, दिल्ली (vii) आयकर आयुक्त (अर्न्तराष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता"

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से प्रभाव में आएगी।

[अधिसूचना सं. 72/2022/फा. सं.187/3/2020-आईटीए-I]

सौरभ जैन, अवर सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना संख्या 54/2014 भारत के सरकारी राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 2756 (अ) दिनांक 22 अक्टूबर 2014 के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2022

(INCOME TAX)

S.O. 2925(E).—In exercise of the powers conferred by sub- sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance No. 54/2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 2756 (E) dated the 22nd October, 2014, namely:-

In the said Notification, in the Schedule,-

- (I) in Serial Number 1, in column number (4), for entries (iii) to (ix), the following entry shall be substituted, namely:-
- "(iii) Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation), Delhi";
- (II) after Serial Number 3 and the entries relating thereto, the following Serial Number and entries shall be inserted, namely:-

Serial No.	Designation of Income-tax Authorities	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation), Delhi	Delhi	 (i) Commissioner of Income Tax (International Taxation)-1, Delhi (ii) Commissioner of Income Tax (International Taxation)-2, Delhi (iii) Commissioner of Income Tax (International Taxation)-3, Delhi

(iv) Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-1, Delhi		
		(v) Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-2, Delhi
		(vi) Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-3, Delhi
		(vii) Commissioner of Income Tax (International Taxation and Transfer Pricing), Kolkata".

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[Notification No. 72/2022/F. No. 187/3/2020-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Note: The Principal Notification No. 54/2014 was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2756(E) dated the 22nd October, 2014.